राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय,
वित्त (नियम) विभाग (0141–2374671)

क्रमांक :–एफ4(13)/मु./वित्त/नियम/172/2023/3809 दिनांक:– 01.08.2023

परिपत्र

वित्त (नियम) विभाग की ओर से चयनित वेतनमान/एसीपी सम्बन्धी नियमों के तहत वेतन निर्धारण के विषय में उदाहरण सहित एवं नियमों की व्याख्या करते हुए स्पष्ट आदेश/परिपत्र जारी किये हुए होने के पश्चात् भी निगम की विभिन्न इकाईयों में आंतरिक अंकेक्षण के दौरान चयनित वेतनमान/एसीपी का लाभ दिये जाने में अनियमितताएं पाई गई है। अतः चयनित वेतनमान/एसीपी का लाभ स्वीकृत करने के लिए निम्नानुसार दिशा–निर्देश प्रसारित किये जाते हैं:–

1. कर्मचारियों की प्रथम नियुक्ति दिनांक से 09, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा की गणना की जावे एवं पिछले सात वर्षों के दण्डदेशों को प्रभावी किया जावे। एसीपी नियमों के अनुसार पिछले दिये गये लाभ की तिथि में 9 वर्ष जोड़ने के पश्चात् प्रभावी दण्डादेशों को प्रभावी करते हुए एसीपी का लाभ स्वीकृत किया जावे।
2. ऐसी नियमित सेवा अवधि जिसके लिए सक्षम अधिकारी द्वारा अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किये गये हैं, उसे चयनित वेतनमान/एसीपी स्वीकृति हेतु नियमित सेवा अवधि की गणना के प्रयोजनार्थ सम्मिलित किया जावे। अन्य किसी प्रकार की अनुपस्थिति की अवधि जिसके लिए किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया गया है तथा सेवा में व्यवधान माना गया है उसे चयनित वेतनमान/एसीपी स्वीकृति हेतु सेवा अवधि की गणना में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।
3. निलम्बन काल को सक्षम अधिकारी द्वारा अविच्छिन्न सेवा के रूप में माना जाने पर ही ऐसी अवधि को चयनित वेतनमान/एसीपी स्वीकृत करने हेतु सेवा अवधि की गणना में सम्मिलित किया जावेगा अन्यथा नहीं।
4. यदि किसी कर्मचारी के गत सात वर्ष के सेवाकाल में अस्थाई/स्थाई वेतन वृद्धि रोकने का दण्ड दिया गया है तो ऐसे कर्मचारी को चयनित वेतनमान/एसीपी का लाभ उतने ही वर्ष आगे खिसका कर दिया जावेगा जितनी वार्षिक वेतन वृद्धियां रोकी गई हैं।
5. परिनिन्दा के दण्ड को बाधक मानते हुए चयनित वेतनमान/एसीपी का लाभ 1 वर्ष आगे खिसका कर स्वीकृत किया जावे।
6. दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् दो से अधिक सन्तान होने पर एसीपी के लाभ के सम्बन्ध में जारी आदेश क्रमांक 3079 दिनांक 11.05.2010, F4/Fin/Rules/172/16/1010 दिनांक 19.02.2016, 3588 दिनांक 02.08.2018 एवं 865 दिनांक 18.02.2021 में वर्णित प्रावधानो के अनुसार एसीपी का लाभ स्वीकृत किया जावे। तीसरी संतान से पूर्व के प्रसव से पैदा संतान अशक्त (disable) होने की स्थिति में ऐसी संतान की गणना एसीपी का लाभ स्वीकृत करते समय नहीं की जावेगी।
7. दिनांक 21.05.2004 के पश्चात् एवं 01.04.2022 से पूर्व 9,18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले कर्मचारियों को यदि पिछले सात वर्षों की अवधि में आरोप पत्र जारी कर आर्थिक दण्ड दिया गया है तो आर्थिक दण्डों को निम्नानुसार प्रभावी करते हुए चयनित वेतनमान/एसीपी का लाभ स्वीकृत किया जावे:–

क्रम संख्या	आर्थिक दण्ड से दण्डित की जाने वाली राशि	चयनित वेतनमान/एसीपी रोके जाने की अवधि
1.	5000/– रूपये तक	1 वर्ष के लिए
2.	25000/– रूपये तक	2 वर्ष के लिए
3.	25000/– रूपये से अधिक	3 वर्ष के लिए

8. यदि किसी कर्मचारी की 9,18 एवं 27 वर्ष की सेवा दिनांक 01.04.2022 या इसके पश्चात् पूर्ण होती है, तो निगम के आदेश क्रमांक 1276 दिनांक 29.03.2022 (सातवां वेतनमान) में वर्णित एसीपी के सम्बन्ध में जारी निर्देशों की पालना की जानी है।

9. यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी के का कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन गत सात वर्षों की निरन्तरता में उपलब्ध नहीं है तो एसीपी के प्रकरणों का निस्तारण निम्न आधार पर किया जावेः–
   1. किसी अधिकारी/कर्मचारी के मामले में जितने वर्षों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं हैं उतने वर्षों के अधिकतम गत 2 वर्षों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन देखे जा सकेंगे। यदि फिर भी 7 वर्षों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होते हैं तो ऐसे प्रकरणों में जितने वर्षों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन कम हैं उतने आगामी वर्षों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर 7 वर्षों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन पूर्ण होने पर ही एसीपी स्वीकार की जा सकेगी।
   2. कोई विभागीय अथवा फौजदारी जॉच का प्रकरण विचाराधीन न हो।
   3. पिछले वर्षों में निरन्तर वार्षिक वेतन वद्धियां मिलती रही हों।
   4. नियंत्रक अधिकारी द्वारा संतोषजनक सेवा का प्रमाण–पत्र दिया जावे।
10. कर्मचारी की 9,18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने की दिनांक के पिछले सात वर्षों के दौरान जारी आरोप पत्र का निस्तारण नहीं होने तक एसीपी का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसे आरोप पत्रों के निस्तारण पर जारी दण्डादेशों को प्रभावी करते हुए एसीपी का लाभ स्वीकृत किया जावे।
11. नॉन आई.टी.आई. आर्टिजन ग्रेड तृतीय जिन्होनें 25.01.1992 अथवा इसके पश्चात् 10 वर्ष की सेवा पूर्ण की है उन्हें प्रथमतः 9 वर्ष की सेवा पर प्रथम चयनित वेतनमान में वेतन निर्धारण के पश्चात् 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर नियमानुसार वेतन निर्धारण किया जाना चाहिए। तत्पश्चात् कर्मचारी की 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर नियमानुसार द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान/एसीपी का लाभ स्वीकृत किया जावे।
12. यदि किसी सेवा पृथक कर्मचारी को सेवा पृथक की अवधि को निरन्तर सेवा मानते हुए पूर्ण वेतन भत्तों सहित पुनः निगम सेवा में लेने का आदेश माननीय न्यायालय द्वारा दिया जाता है तो उक्त सेवा पृथक अवधि को चयनित वेतनमान/एसीपी का लाभ स्वीकृत करने के लिए सेवा अवधि की गणना में सम्मिलित किया जावेगा।

चयनित वेतनमान/एसीपी के सम्बन्ध में पूर्व में जारी समस्त आदेश/परिपत्रों के नियम यथावत् प्रभावी रहेंगे। इस परिपत्र द्वारा मात्र दिशा–निर्देश जारी किये जा रहे हैं।

(नथमल डिडेल)
प्रबन्ध निदेशक

क्रमांक :–एफ4(13)/मु./वित्त/नियम/172/2023/3809 दिनांकः– 01.08.2023

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
2. कार्यकारी निदेशक ( ) रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
3. महा प्रबन्धक/संयुक्त महा प्रबन्धक ( ) रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
4. उप महाप्रबन्धक/कार्यकारी प्रबन्धक( ) रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
5. उप महाप्रबन्धक (आई.टी) निगम के वित्त विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
6. निगम सचिव, रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
7. मुख्य उत्पादन प्रबन्धक/लेखाधिकारी के0का0.....।
8. मुख्य प्रबन्धक/प्रबन्धक (वित्त), रा.रा.प.प.निगम, ...।
9. रक्षित पत्रावली।

(रामगोपाल पारीक)
वित्तीय सलाहकार

I.T./1613
02/08/23